Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बीकानेर में पुलिस थाना बज्जू का कानिस्टेबल 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *19 सितम्बर, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बीकानेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये बनवारी लाल कानिस्टेबल, पुलिस थाना बज्जू, जिला बीकानेर को परिवादी से **15 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की बीकानेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज परिवाद को लज्जा भंग एवं एससी/एसटी का मुकदमा संबंधी रिपोर्ट बताते हुये उक्त परिवाद को बंद करने एवं फाईल तैयार करने की एवज में बनवारी लाल कानिस्टेबल, पुलिस थाना बज्जू, जिला बीकानेर द्वारा **15 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर** के सुपरवीजन में एसीबी बीकानेर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर प्रसाद शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री श्रवण कुमार** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये बनवारी लाल पुत्र श्री अर्जुनराम निवासी ग्राम मोटाई, तहसील बाप, पुलिस थाना चाखू, जिला फलौदी हाल कानिस्टेबल, पुलिस थाना बज्जू, जिला बीकानेर को परिवादी से **15 हजार रुपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।